सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 25, शुक्रवार, *शाके* 1945-मार्च 15, 2024 *Phalguna 25, Friday , Saka 1945- March 15 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 06, 2024

संख्या प. 2(43)वन/2023 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोवत भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व ही किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोवत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चुंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारो को क्षति पहुचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ओफिसर को पूर्वोतर वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती हैं। तथ ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आवेगी। और न उस पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष संलग्न द्वितीय अनुसूची में अकिंत किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोतर तारीख से उक्त वन में पत्थरों

को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			नाम ग्राम	विवरण		
				दिशा	भूमि	खसरा		खसरा नं	क्षेत्र बीघा	क्षेत्रफल है0
1	रक्षित वनखण्ड-राजपुरा खुर्द **A**	झालरापाटन	झालावाड	उत्तर	कृषि भूमि	537/110	राजपुरा खुर्द	517/392	18 बीघा 6 बीस्वा	4.71
				दक्षिण	वनभूमि MHTR KOTA	546/433				
				पूर्व	राजस्व भूमि	516/392				
				पश्चिम	राजस्व भूमि	395				
कुल									**18-6**	**4.71**

क्र. स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			नाम ग्राम	विवरण		
				दिशा	भूमि	खसरा		खसरा नं	क्षेत्र बीघा	क्षेत्रफल है0
2	रक्षित वनखण्ड-राजपुरा खुर्द–II	झालरापाटन	झालावाड	उत्तर	कृषि भूमि	165	राजपुरा खुर्द	515/164	1 बीघा	0.24
				दक्षिण	राजस्व भूमि	181				
				पूर्व	राजस्व भूमि	163				
				पश्चिम	वनभूमि MHTR KOTA	544/164				
कुल									1-0	0.24
कुल क्षेत्रफल वनखण्ड राजपुरा खुर्द I**st** and II**nd**									**19-6**	**4.95**

हस्ताक्षर

(अशोक कुमार खोजा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
खानपुर।

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
झालावाड़।

द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखण्ड राजपुरा खुर्द **Ist and IInd**

पेडो की सूची

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	Azadirachta indica	नीम
2	Holoptelia integrifoliya	चुरेल
3	Acacia leucophloea	रोंझ
4	Acacia catechu	खैर
5	Ziziphus muaritiana	बोर
6	Anogeissus pendula	धोंक
7	Diospyros meanoxylon	तेन्दु
8	Acacia nilotica	देशी बबूल
9	Prosopis cineraria	खेजड़ा

हस्ताक्षर

(अशोक कुमार खोजा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
खानपुर।

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
झालावाड़।

परिशिष्ट क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नही होता उसे काट दे)

जिला :-झालावाड

रेंज :- झालावाड

ग्राम :- राजपुरा खुर्द

मण्डल :- झालावाड.

वनखण्ड :- राजपुरा खुर्द

1. संलग्न प्रारुप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकोर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति में विस्तृत रुप में खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।

2. वर्तमान में भुमि राजस्व लेखो में महकमा जंगलात के नाम दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रो में विकास कार्य कराना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा अवैध खनन कार्य नही हो रहा है। इस क्षेत्र राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।

3. भूमि पर वृक्षो का घनत्व **0.0** से **0.2** है। तथा कुछ क्षेत्रो में नगण्य है।

4. समीपवर्ति स्थित क्षेत्र राजस्व सीमा एवं वन भूमि है। तथा चारो ओर की सीमाओ का उल्लेख विज्ञप्ति में कर दिया है।

5. वनखण्डो का वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है। एंव विज्ञप्ति में दिखाई सीमाओ एवं स्थिति के अनरुप है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी.टी. शीट पर चिहिन्त किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

6. प्रस्तावित वनो के प्रारुप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रो के कानूनी स्वरुप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनरुप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियो पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।

7. राजस्व अभिलेखो मे अमल दरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।

8. उपरोक्त वनखण्ड अन्तर्गत कालीसिन्ध थर्मल प्लांट को कालीसिन्ध बांध से पाईप लाईन से जोडने के बदलें आई राजस्व भूमि है जिसका अमल दरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।

9. आज दिनांक **31.08.2023** तक इस भूमि का पुर्व मे राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है। एवं न ही प्रकाशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।

हस्ताक्षर

(अशोक कुमार खोजा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
खानपुर।

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
झालावाड़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।